जिला दुर्ग एवं बेमेतरा की गौशालाओं मे पशुओ की आकस्मिक मृत्यु की जाँच हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग मुख्यालय रायपुर

(जिला दुर्ग विकासखंड धमधा ग्राम राजपुर के शगुन गौशाला तथा जिला बेमेतरा विकासखंड साजा ग्राम गोडमर्रा के फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो के मयूरी गौशाला मे पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जाँच हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग)

रायपुर दिनांक 05 सितम्बर 2017

अधिसूचना

(अंतर्गत नियम 5(2)(ख) कमीशन ऑफ इन्क्वायरी (केन्द्रिय) नियम, 1972)

सर्व साधारण को सूचना

क्रमांक 457 गौशाला मे पशुओ की आकस्मिक मृत्यु हेतु न्यायिक जाँच आयोग /2017 रायपुर दि. 05.09.2017

छ0ग0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 3–13/2017/1–7 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा दिनांक 16.08.2017 को जिला दुर्ग विकासखंड धमधा, ग्राम राजपुर के शगुन गौशाला तथा दिनांक 18.08.2017 को जिला बेमेतरा, विकासखंड साजा, ग्राम गोडमर्रा के फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो के मयूरी गौशाला में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की न्यायिक जाँच हेतु श्री ए0के0सामंतरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पूर्व प्रमुख सचिव, विधि) की अध्यक्षता मे एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है जिसके जाँच के विषय निम्न है:–

1. कितने पशुओं की मृत्यु, किन कारणो से हुई है?
2. क्या उक्त घटना घटित होने से रोकी जा सकती थी? घटना के लिए कौन–कौन उत्तरदायी है?
3. घटना की पुनरावृत्ति न हो इस उद्देश्य से गौशालाओं के समुचित प्रबंधन हेतु क्या–क्या सुधार किये जावे?
4. गौशाला पंजीयन एवं अनुदान तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने हेतु और क्या–क्या सुधार किये जावे?
5. गौशालाओं के प्रबंधन को अनवरत रूप से व्यवस्थित रखने के लिए विधि के प्रावधानों को किस प्रकार प्रभावी बनाया जावे?
6. जाँच के दौरान अन्य लोक महत्व के बिन्दु जिनकी जाँच करना आयोग आवश्यक समझे?

कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट 1952 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए उपरोक्त घटना के संबंध मे न्यायिक जाँच आयोग का मुख्यालय रायपुर, कार्यालय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण छ0ग0 रायपुर, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर होगा एवं आवश्यकता अनुसार सूचना द्वारा जिला दुर्ग एवं बेमेतरा में भी बैठक का स्थान नियत किया जा सकेगा।

अतः एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जो उपरोक्त घटना के संबंध मे जानकारी रखते है वे कार्यालयीन अवधि मे आयोग कार्यालय रायपुर (पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर) मे जानकारी लिखित में शपथ पत्र में, अपनी पहचान से संबंधित समग्र दस्तावेज जैसे मतदाता सूची, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड , गॉव के सरपंच अथवा किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र, कृषक होने की स्थिति में खाते की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से 15 दिनो के भीतर हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा मे, हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा से भिन्न होने की दशा में ऐसी जानकारी का हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद सहित प्रस्तुत करे।

यदि कोई व्यक्ति घटना संबंधी प्रत्यक्ष जानकारी की साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के इच्छुक हो तो वे विषय वस्तु एवं पूर्ण पता सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपना पंजीयन कार्यालयीन अवधि मे आयोग मे करा सकते है। जाँच आयोग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया विनियम अलग से अधिसूचित की जा रही है।

शपथपत्र का प्रारूप संलग्न है।

आज दिनांक 05.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी।

(अध्यक्ष न्यायिक जाँच आयोग द्वारा अनुमोदित)

(नीता ठाकुर)
सचिव,
न्यायिक जाँच आयोग
मुख्यालय, रायपुर छ0ग0

सत्यापन

शपथकर्ता निम्न सत्यापन करता हूँ / करती हूँ कि कंडिका

शपथ–पत्र का प्रारूप

जिला दुर्ग एवं बेमेतरा की गौशालाओं में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जॉंच हेतु गठित न्यायिक जॉंच आयोग मुख्यालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।

समक्ष पब्लिक नोटरी / न्यायिक मजिस्ट्रेट / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट स्थान..

शपथकर्ता का विवरण ....

नाम ....

पिता / पति का नाम ....

उम्र ....

व्यवसाय ....

निवास स्थान (पूर्ण पता) ....

थाना क्षेत्र ....

तहसील क्षेत्र ....

जिला ....

राज्य ....

शपथ पत्र

मैं..पिता / पति..उम्र..........वर्ष

व्यवसाय..निवासी..

शपथपूर्वक निम्नांकित कथन करता / करती हूँ–

01 यह कि मैं उपरोक्त शपथकर्ता दिनांक ....को घटना के समय....................

स्थान पर स्वयं उपस्थित था / थी एवं मेरे समक्ष

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

घटना हुई जिसका स्वयं चक्षुदर्शी हूँ।

या

मुझे इस घटना के संबंध में निम्न जानकारी –

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

....स्त्रोत से प्राप्त हुई है, जिसपर विश्वास करता हूँ / करती हूँ, सत्य मानता हूँ / मानती हूँ।

2. मैं अपने द्वारा प्रदत्त जानकारी के संबंध में दस्तावेजों की मूल प्रति अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ / रही हैं एवं आयोग द्वारा आहूत किये जाने पर अथवा साक्ष्य के समय दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगा / करूंगी।

शपथकर्ता / शपथकर्ती

FROM : BHOOURJAN FAX NO. :07712438201 7 Sep. 2017 2:33PM P3

सत्यापन

मैं ....शपथपूर्वक निम्न सत्यापन करता हूँ/ करती हूँ कि कंडिका 01 से ....की जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से एवं कंडिका.......................से .... की जानकारी ....स्त्रोंत से प्राप्त ज्ञान,जिसे मैं सत्य मानता हूँ/मानती हूँ और विश्वास करता हूँ/ करती हूँ, से सत्य है।

अतः आज दिनांक ....को स्थान...में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर किया/की/अंगूठा निशानी लगाया/लगायी।

शपथकर्ता/शपथकर्त्री

स्थान– ....

दिनांक:– ....

3. नोट

1. शपथकर्ता से अपेक्षा है कि वे समस्त जानकारी शपथ पत्र द्वारा ही प्रदान करें।
2. शपथ पत्र में जो जानकारी/शपथकर्ता के स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में है और जो अन्य स्त्रोंत से प्राप्त ज्ञान में है, उन्हे पूर्णतः स्पष्ट लिखते हुये जानकारी दें।
3. अपने पहचान के लिये शपथकर्ता, शपथ पत्र पर अद्यतन स्वयं के फोटो चिपकाकर सक्षम अधिकारी /प्राधिकारी /पब्लिक नोटरी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करायें।
4. अपने पहचान स्थापित करने के लिये शपथकर्ता निम्न दस्तावेजः–
   - (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता परिचय पत्र,
   - (ii) राशन कार्ड,
   - (iii) स्थानीय मतदाता सूची,जिसमें उसका नाम उल्लेखित हो,
   - (iv) स्थानीय कृषक होने से संबधित खाता की स्व अभिप्रमाणित/ पब्लिक नोटरी से अभि–प्रमाणित छायाप्रति एवं,
   - (i) सरपंच द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र,
   - (ii) किसी शासकीय संस्था द्वारा प्रदत्त पहचान प्रमाण पत्र, संलग्न करें।
5. शपथ दिलाने वाले अधिकारी अपने सील, शपथ की तिथि अभिप्रमाणित करने वाले साक्षी का पूर्ण पता, शपथ पत्र निष्पादन का स्थान और तिथि स्पष्ट लिखें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस विशेष प्राधिकारी के समक्ष, किस शपथकर्ता द्वारा किसकी उपस्थिति में, किस दिन, किस स्थान पर शपथ लिया गया है।